न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी	-	**सुमन मीना-प्रथम,** आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	512/2014
सी.आई.एस. नंबर	-	323/2015
एफ.आई.आर. संख्या	-	19/2014 (पुलिस थाना-सुकेत)

राजस्थान राज्य, जरिये अभियोजन अधिकारी, रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.)

.........अभियोगी

-ब ना म-

अब्दुल सलाम पुत्र सलीम, उम्र-44 साल, निवासी-पायका मौहल्ला सुकेत, पुलिस थाना-सुकेत, जिला-कोटा (राज.)

.........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थितः-

1- श्री रामकेश मीना, विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से

2- श्री नसरूद्दीन, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

- निर्णय - **दिनांकः-05.01.2024**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी अब्दुल मजीद खां मय जाप्ता श्री पतराम FC 534, श्री शेर मो० FC 627, श्री सुधीर सिंह FC 14, श्री साहब लाल FC 995 जीप सरकारी चालक श्री मांगीलाल FC 328 के समय 4.30 PM रपट नं. 901 रोज० आम का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा की Q.S.T की पालना मे वास्ते करने नाकाबन्दी अवैध वाहन व ड्रेगन लाईट के रवाना होकर गस्त करता वे गस्त हेतु मय नया जुल्मी रोड पहुंचा, जहां पर पाटली नदी की पुलिया नाकाबन्दी की। नाकाबंदी करने के तत्पश्चात समय 7.15 PM पर मय जाब्ता जीप सरकारी के वापस थाना आ रहा था कि ASI कम्पनी के टीले के पास रोड पर एक व्यक्ति पैदल-पैदल सुकेत की तरफ जाता हुआ नजर आया, जो पुलिस की जीप को देखकर अपने आप को छुपाने की गर्ज से टील्ले की तरफ एकदम हडबडाकर भागा। इस पर SHO मय हमराही जाप्ता के जीप रोड

पर खड़ी कर भागते हुए व्यक्ति का पीछा किया तथा घेराबन्दी कर भागे हुए व्यक्ति को डिटेन किया जो पसीना-पसीना हो गया व काफी घबराहट से शक पर उक्त डिटेनशुदा व्यक्ति की चैकिंग हेतु श्री शेर मो० कानि० 627 को जरिये नोटिस देकर स्वतन्त्र गवाहान तल्लवी हेतु रवाना किया गया समय 7.40 PM पर उक्त कानि० श्री शेर मो० कानि० 627 बाद तलाश स्वतन्त्र गवाहान के वापस मौके पर समय 7.55 PM पर आया तथा SHO को बताया कि आस पास निर्जन स्थान होने व रात्री का समय होने के कारण कोई स्वंतन्त्र गवाह नही मिले। जिसने उक्त जबाब लिखित मे SHO को पेश किया। इस पर कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं होने पर SHO ने श्री सुधीर सिंह कानि० 14 व श्री पतराम कानि० 534 को स्वतन्त्र गवाह मामूर कर स्वतन्त्र गवाहान की तलाशी SHO द्वारा ली गई तथा स्वतन्त्र गवाहान को SHO ने स्वंय की तलाशी दी तो किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु नही मिली। इस डिटेनशुदा व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम अ० सलाम पुत्र सलीम भाई जाति कुंजडा मुस० उम्र 44 साल नि० पायगा मौहल्ला सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा का होना बताया। इस पर मन् SHO ने गवाहान के समक्ष डिटेनशुदा व्यक्ति अ०सलाम की तलाशी ली गई तो अ०सलाम ने पेन्ट के पीछे की तरफ बैल्ट के पास एक सफेद पोलिथीन थैली मिली थैली को चैक किया तो उसके अन्दर पाँच पुडिया मिली व थैली के अन्दर हल्के हरे पति जो आपस में चिपटी हुई डन्ठल मिले पाँचो पूडियो को भी खोलकर जो अखबार से लिपटी हुई को देखा तो अखबार की पुडियो के अन्दर भी हल्के हरे रंग के पतियाँ जो आपस मे चिपटी हुई मिले जिसको SHO एवं गवाहान को तथा उपस्थित जाप्ता को दिखाया व सूघांया चखाया तो भांग (गांजा) के पत्तियां व डन्ठल होना पाया, सभी ने तथा डिटेनशुदा व्यक्ति अ० सलाम ने भी गांजा की पत्तियां व डन्ठल होना बताया। इस पर कार्यावाही हेतु अनुसंधान बॉक्स लेने के लिए समय 8.10 PM पर श्री शेर मो० कानि० 627 को मय जीप सरकारी चालक मांगीलाल कानि० 328 के थाना सुकेत के लिए रवाना किया गया जो वापस मौके पर मय जीप सरकारी व चालक तथा अनुसधांन बॉक्स के समय 8.35 PM पर आये व SHO को अनुसंधान बॉक्स पेश किया। इस पर डिटेनशुदा व्यक्ति अ०सलाम के कब्जे में मिली पोलिथीन की थैली में गांजा/गांजा के डन्ठल को अपने कब्जे मे रखना व लाने ले जाने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो अ० सलाम ने अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार अ० सलाम मुसलमान द्वारा अपने कब्जे मे गांजा रखना व ले जाना धारा 8/20 N.D.P.S. ACT के तहत दण्डनीय अपराध होने पर गांजा की थैली को बतौर बजह सबुत कब्जे पुलिस लिया जाकर थैली को बारदाना सहित गवाहान के समक्ष वजन किया तो 82 ग्राम 700 मिली ग्राम हुआ व शुद्ध गांजा का वजन पोलिथीन की थैली सहित 62 ग्राम 200 मिली ग्राम हुआ। गांजा की मात्रा कम होने पर नमुना सेम्पल नहीं निकालकर शुद्ध गांजा मय पोलिथीन की थैली को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर स्वंय की निजी शील से किया जाकर मार्क A दिया गया तथा बारदाना अखबार को एक पोलिथीन की थैली में रखकर शैली को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्क B दिया गया तथा समय 9.20 PM पर उसकी स्वंय की निजी शील को गवाहान के समक्ष नष्ट कर शील के टुकडे चारों दिशाओं मे फेंककर फर्द नष्ट शील मुर्तिब कर मौके पर

डिटेनशुदा मुल० अ० सलाम पुत्र सलीम भाई जाति कुंजडा मुस० उम्र 44 साल नि० पायगा मौहल्ला सुकेत को अपराध से अवगत कराकर गर्ये फर्द गिरतारी गिर० किया गया। वापसी थाना पर नम्बर प्रकरण दर्ज होगा.........इत्यादि।"

02. उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना-सुकेत द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-19/2014, अपराध अंतर्गत धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त-अब्दुल सलाम के विरूद्ध धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसपर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप का प्रसंज्ञान लिया गया।

03. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा- 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.-01 पतराम, पी.डब्ल्यू.-02 शेर मोहम्मद, पी.डब्ल्यू.-03 साहब लाल, पी.डब्ल्यू.-04 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू.-05 रमेश सिंह, पी.डब्ल्यू.-06 लक्ष्मीनारायण, पी.डब्ल्यू.-07 सुधीर सिंह, पी.डब्ल्यू.-08 मांगीलाल, पी.डब्ल्यू.-09 अब्दुल मजीद खान एवं पी.डब्ल्यू.-10 जोधाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत पी-21 प्रदर्शित करवाये।

05. अभियुक्त के कथन धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए उसे रंजिशवश फंसाये जाने का कथन किया एवं बचाव साक्ष्य में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की।

06. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अभियोजन की ओर से पेश सभी गवाहों ने मामले की ताईद की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

08. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। जब्तीकर्ता द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जब्तीकर्ता द्वारा

अभियुक्त को धारा-50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का कोई नोटिस नहीं दिया है। अभियुक्त के कब्जे से कोई मादक पदार्थ की जब्ती नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष मामलें को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

09. मैंने दोनों के परस्पर विरोधी कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

10. प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि-

01. ''क्या दिनांक-20.01.2014 को समय 08.00 पी.एम. के करीब मौजा-एएसआई कंपनी के टीले के पास, जुल्मी रोड़ सुकेत में अभियुक्त अब्दुल सलाम के सचैतन्य कब्जे से 62 ग्राम 200 मिलीग्राम शुद्ध गांजा बरामद किया गया, जिसे रखने बाबत् उसके पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना पाया गया?''

02. "यदि अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित होता है, तो उचित दण्ड क्या होगा ?"

11. उक्त विचारणीय बिंदुओं का विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उभय पक्षों की बहस के मध्यनजर मेरे द्वारा निम्न प्रकार किया जा रहा है-

12. प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 09 अब्दुल मजीद खान, जो जब्तीकर्ता है, उसने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि "दिनांक 20.01.2014 को वह थानाधिकारी सुकेत के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के निर्देशानुसार मय जाब्ता श्री पतराम कानि०, शेर मोहम्मद कानि०, शेरसिंह कानि०, साहबलाल कानि०, के मय जीप सरकारी चालक मांगीलाल के वास्ते गश्त व नाकाबंदी वाहन हेतु थाने से रवाना हमराही जाब्ते के होकर पाटली नदी जुल्मी रोड पहुंचा वहां नाकाबंदी की। बाद नाकाबंदी के हमराही जाब्ता के गश्त करता हुआ वापस थाना आ रहा था तो जुल्मी रोड़ पर एएसआई कंपनी के टीले के पास एक व्यक्ति पैदल सुकेत की तरफ जाता नजर आया, जो पुलिस को देखकर खुद को छिपाने की गर्ज से टीले के तरफ जाने लगा। शक होने पर हमराही जाब्ता की मदद से घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को रोका। वह व्यक्ति पसीना-पसीना हो गया था। वह काफी घबराया हुआ था, जिस पर शक होने से उसकी तलाशी लेने हेतु तलवी गवाह का नोटिस शेर मोहम्मद कानि० को देकर भेजा, जिसने 15 मिनट बाद वापस आकर बताया कि आस-पास निर्जन स्थान होने से कोई व्यक्ति नही मिला। जिसपर पतराम कानि० व सुधीर सिंह कानि० को स्वतंत्र गवाह मामूर किया व उनकी तलाशी उसके द्वारा ली गयी, उसने भी अपनी तलाशी दोनों गवाहों को दिलाई। कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। डिटेनशुदा व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल सलाम निवासी पायगा मोहल्ला सुकेत होना बताया। जिसपर दोनों

गवाहों के समक्ष अब्दुल सलाम की तलाशी ली तो उसकी पेंट के पीछे की तरफ बैल्ट के पास एक सफेद थेली मिली जिसको चैक किया तो उसके अंदर पांच पुडिया मिली, जिसमें फल के हरी पत्ती आपस में चिपक मिली व डंठल भी साथ था। पांचों पुडियों को खोलकर देखा तो अखबार के कागज की पुडिया में हल्के हरे रंग की पत्ती चिपक हुयी मिली, जिसको उसने व गवाहों ने सूंघा व चखा तो अवैध मादक पदार्थ गांजे की पत्तियां व डंठल होना बताया। अब्दुल सलाम ने भी गांजा होना बताया। इस पर शेर मोहम्मद कानि० को मय सरकारी जीप चालक मांगीलाल के अनुसंधान बॉक्स लाने हेतु रवाना किया, जो लगभग पच्चीस मिनट बाद अनुसंधान बॉक्स लेकर आया। इसपर डिटेनशुदा व्यक्ति अब्दुल सलाम के कब्जे में मिली पोलीथीन की थेली में हरी पत्तियां व डंठल लाने ले जाने व कब्जे मे रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो कोई पत्र नहीं होना बताया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होने से उसके पास मिली गांजे की थैलियों को बतोर सबूत कब्जे पुलिस लिया जाकर थैली को बारदाना सहित गवाहान के समक्ष वजन किया तो 82 ग्राम 700 मिली ग्राम हुआ। शुद्ध गांजे का वजन पोलिथीन की थैली सहित 62 ग्राम 200 मिली ग्राम हुआ। गांजे की मात्रा कम होने से नमूना सेम्पल नही निकालकर शुद्ध गांजा मय पोलीथीन थेली के एक सफेद कपडे की थेली में रखकर स्वयं की निजी सील से सील्ड मोहर कर मार्क ए दिया गया तथा बारदाना अखबार को एक पोलिथीन की थेली में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क बी दिया। समय करीब 9.20 पीएम पर उसकी स्वयं की निजी सील को गवाहान के समक्ष नष्ट कर सील के टूकडे चारों दिशाओं में फेंक कर फर्द नष्टीकरण सील मुर्तिब की। मौके पर डिटेनशुदा मुल्जिम अब्दुल सलाम को अपराध से अवगत कराकर जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही मोके से रवाना होकर मय माल मुल्जिम के थाने पहुंचे। जहां पर मुकदमा नंबर 19/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर तफतीश श्रीमान एसपी साहब कोटा ग्रामीण के निर्देशानुसार एसएसओ जोधाराम के सुपुर्द किया। मुल्जिम को बंद हवालात कर पहरा संतरी किया व सील्ड पेकेट मार्क ए व बी को पुनः थाने की सील से सील मोहर कर जमा मालखाना किया। फर्द चैकिग एवं जब्ती प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 8, हुक्मनामा स्वतंत्र गवाह तलबी प्रदर्श पी 7, फर्द नमूनासील प्रदर्श पी 2, धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के तहत श्रीमान एसपी साहब कोटा ग्रामीण को प्रेषित सूचना प्रदर्श पी 9, दिनांक 20.01.2014 समय 4.30 पीएम सत्यापित प्रति रोजनामचा रपट संख्या 901 प्रदर्श 10 व सत्यापित प्रति 57 एनडीपीएस की सूचना के वाहक रवानगी रपट संख्या 928 प्रदर्श पी 11, सत्यापित वापसी नकल रपट संख्या 1009 प्रदर्श पी 12 है, जिनपर उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल विशेष वाहन सत्यानारायण के मार्फत प्रकरण के माल को एसपी साहब के माध्यम से एफएसएल जयपुर हेतु भेजा जिसके रवानगी प्रदर्श पी 13 व प्राप्ति रसीद एफएसएल प्रदर्श पी 14 है जो शामिल पत्रावली है। नकल मालखाना रजिस्टर शामिल पत्रावली है। श्रीमान न्यायालय से जब्तशुदा माल पेकेट मार्क ए व बी की 52 ए की कार्यवाही श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 7 कोटा से करवाई जा चुकी है, जिसके दस्तावेजात व फोटोग्राफस शामिल पत्रावली है। श्रीमान एसीजेएम साहब द्वारा धारा 52ए एनडीपीएस के तहत दिया गया

प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 15 है। फोटाग्राफस प्रदर्श पी 16 लगायत पी 21, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 है जो शामिल पत्रावली है। बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी जोधाराम के द्वारा मुलिजम अब्दुल सलाम के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस के तहत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली उसके सुपुर्द की। जिस पर उसने पत्रावली का अवलोकन किया व श्रीमान् एसपी साहब कोटा ग्रामीण से आदेश चालान प्राप्त कर मुल्जिम अब्दुल सलाम के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश किया। जिसके प्रत्येक प्रष्ठ पर ए से बी उसके साईन है।

दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को स्वयं की तलाशी लिवाने हेतु कोई धारा-50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस नहीं दिया था। माल को मालखाने में जमा करवाते समय थानाधिकारी के रूप में प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में धारा-52 ए की कार्यवाही उसके द्वारा नहीं करवाई गई।

13. फर्द चैकिंग एवं जब्ती के अन्य गवाह पी.ड. 01 पतराम एवं पी.ड. 07 सुधीर सिंह ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किये कि ''दिनांक 20 जनवरी 2014 को थाना सुकेत पर कानि. के पद पर पदस्थापन्न के दौरान थानेदार अब्दुल मजीद व श्री शेर मोहम्मद, कानि श्री साहब लाल जीप सरकारी चालाक श्री मॉगीलाल कानि के वास्ते करने अवैध वाहन चैकिग श्रीमान एसपी साहब कोटा ग्रामीण की क्यूऐसटी की पालना में ड्रेगन लाईट के रवाना होकर पाटली नदी की पुलिया के पास पहुंचे। जहाँ पर अवेध वाहनों की चैकिंग श्रीमान थानेदार साहब के निर्देशन में की बाद वाहन चेकिंग के समय 7:15 पीएम पर रवाना होकर वापस थाने के लिए आ रहे थे कि एएसआई कम्पनी के टीले के पास एक व्यक्ति पैदल-पैदल सुकेत की तरफ जाता हुआ नजर आया, जो पुलिस जीप को देखकर एकदम एएसआई टीले की तरफ गया। जिस को थानेदार साहब व सभी जाब्ते ने घेराबंदी कर बड़ी मुश्किल से भागते को रोका व रोकने पर वह व्यक्ति पसीने पसीने हो गया व घबरा गया। इस पर थानेदार साहब को व जाब्ते को उस व्यक्ति के पास कोई संदिग्ध वस्तु होने का अंदेशा होने पर चैकिग हेतु स्वतंत्र गवाह की तलवी हेतु थानेदार साहब ने श्री शेर मोहम्मद कानि को नोटिस देकर रवाना किया था। जिस ने कुछ समय बाद मौके पर आकर एसएचओ साहब को बताया कि आस-पास निर्जन स्थान होने के कारण कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। इस पर एसएचओ साहब ने उनसे लिखित में सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वतंत्र गवाह बनाया। उनके सामने पकडे गया व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल सलाम बताया। जिसको चैकिग एसएचओ साहब ने ली तो पेंट के पीछे बेल्ट के नीचे 5 पुडियाँ अखबार में लिपटी हुई थैली मिली, जिसको एसएचओ साहब व उन सभी जाब्ते को दिखाने पर अनुभव के आधार पर गाँजा होना पाया। इस पर एसएचओ साहब ने कार्यवाही हेतू अनुसंधान बॉक्स लेने हेतु श्री शेर मोहम्मद कानि मय चालाक श्री माँगीलाल को थाने पर रवाना किया। जो कुछ समय बाद मौके पर वापस आए तथा अनुसंधान बॉक्स से एसएचओ साहब ने गांजे का तोल किया तो बारदाना सहित 82 ग्राम 700 मिलीग्राम शुद्ध भार 62 ग्राम 200 मिलीग्राम हुआ। एसएचओ साहब ने अब्दुल

से अपने पास गांजा रखने के संबंध में पूछा तो अब्दुल ने अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार शुद्ध गाजे व बारदान को एसएचओ साहब ने अपने स्वयं की निजी सील से सफेद कपडे की थेली में रखकर सीलमुहर किया था तथा शुद्ध गाँजे की थेली को मार्क ए तथा बारदाने को मार्क बी दिया था। एसएचओ साहब ने समस्त कार्यवाही जाब्ते के सामने की थी। मुलजिम को गिरफ्तार किया था। सीलमोहर के सील को नष्ट किया था। तथा फर्द नष्ट बनाई थी। तथा वापसी थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। यह समस्त कार्यवाही एएसआई कम्पनी के टीले के पास रात्रि 8 बजे से 9:35 तक की थी। फर्द चैकिग व जब्ती गांजा प्रदर्श पी 1, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 2, फर्द नष्ट नमूना सील प्रदर्श पी 3 व फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 5 व नक्शामौका प्रदर्श पी 6 है, जिन सभी पर उनके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह गवाहान् ने कथन किये कि अभियुक्त पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगा, तो उनको शक हुआ कि उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु, हथियार या मादक पदार्थ हो सकता है। पकड़े हुए व्यक्ति को तलाशी लेने के लिए थानेदार जी ने कोई नोटिस नहीं दिया। पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी से पूर्व थानाधिकारी ने उसे यह विकल्प नहीं दिया कि वह चाहे तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले सकता है, वह चलने के लिए तैयार हो।

14. जाब्ते के अन्य सदस्य गवाह पी.ड. 02 शेर मोहम्मद ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि दिनांक 20/01/2014 को थाना सुकेत पर कानि के पद पर तैनात था। इस दिन एसएचओ साहब अब्दुल मजीद खान के साथ नाकाबन्दी अवेध वाहन चैकिग पाटली नदी पर गए। साथ में वह, पतराम कानि, सुधीरसिंह कानि, और साहब लाल कानि गए। थाने से वे शाम को 4:30 बजे को रवाना हुए। पाटली नदी पर नाकाबंदी की। बाद नाकाबंदी शाम 7:15 बजे सुकेत की तरफ आ रही थे। रास्ते में एएसआई कम्पनी के टीले के पास एक व्यक्ति जाता हुआ दिखा। वह पुलिस को देखकर तेज घबराया हुआ टीले की तरफ भागने लगा। जाब्ते की मदद से उसको पकडा। पकडने के बाद एसएचओ साहब ने स्वतंत्र गवाह तलाशने के लिए हुक्मनामा दिया। वह हुक्मनामा लेकर आसपास स्वतंत्र गवाह तलाश किए। तलाश करने के बाद कोई स्वंतंत्र गवाह नहीं मिला। वापस श्रीमान एसएचओ साहब के पास आया। उसने एसएचओ साहब को बताया कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला है। हुक्मनामा प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी अब्दुल मजीद के हस्ताक्षर है। सी से डी उसकी रिपोर्ट है तथा इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है। एसएचओ साहब ने जाब्ते मे से ही पतराम व सुधीर को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए मामूर किया। एसएचओ साहब ने स्वयं की तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवाई। स्वतंत्र गवाहों की तलाशी स्वयं एसएचओ साहब ने ली। उसके बाद एसएचओ साहब ने अब्दुल सलाम की तलाशी ली, जिसके पास पेन्ट की पिछे की जेब के उपर बेल्ट के नीचे सफेद पॉलीथीन की थेली मिली। जिसको एसएचओ साहब ने खोल के देखा जिसमें अखबार में 5 पुडियों थीं, जिनको खोल कर देखा तथा जाब्ते को भी दिखाया। उसे व माँगीलाल चालक को जीप से थाने में अनुसंधान बॉक्स लेने भेजा। अनुसंधान बॉक्स लेकर वे दोनों वापस घटनास्थल आए।

एसएचओ साहब ने गांजे का भार किया जिसमें 82 ग्राम 700 मिलीग्राम जो बारदाने सहित था। बिना बारदाने के भार 62 ग्राम 200 मिलीग्राम था। कपडे की सफेद थेली में सील्डमोहर किया गया। बारदाने को सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर किया। गांजे वाले थेली को मार्क ए दिया था बारदाने वाली थेली को मार्क बी दिया। जिस पर एसएचओ साहब की निजी सील लगाई। उस सील को तोडकर वही फेक दिया। बाद कारवाई रात को 9:20 पर थाने के लिए रवाना हुए।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि वह स्वतंत्र गवाह ढूंढने के लिए गया था, किंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। अनुसंधान बॉक्स लाने के संबंध में उसे कोई लिखित तहरीर नहीं दी थी। सभी पुड़ियों का वजन एक साथ किया था।

15. जाब्ते के अन्य सदस्य गवाह पी.ड. 03 साहब लाल ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 20.01.2014 को थाना सुकेत पर कानिस्टेबल के पर तैनात था। उस रोज एसएचओ साहब के साथ मय जाब्ते में एसपी साहब की क्यूस्टी में गस्त एवं नाकाबंदी हेतु मय जीप सरकारी चालक के गस्त करते हुयें पाटली नदी सुकेत पहुचें जहा नाकाबंदी की। नाकाबंदी के तत्पश्चात् वापिस थाना आ रहे थे तो एएसआई कंपनी के टीले के पास एक व्यक्ति नजर आया जो पुलिस जाब्ते एवं जीप को देखकर हडबडाकर भागने लगा, जिसको घेरा बंदी देकर पकडा। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसनें अपना नाम अब्दुल सलाम पुत्र सलीम जाति मुसलमान होना बताया। इस पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मोतबीर नहीं मिला, जिसपर सुधीर व पतराम को स्वतंत्र मौतबीर मामूर किया तथा अब्दुल सलाम की तलाशी ली तो बेल्ट के नीचे एक थैली मिली, जिसको खोलकर देखा तो गांजा होना पाया गया, जिस पर अनुसंधान बाक्स लेने हेतु शेर मोहम्मद व चालक को थानें पर भेजा तथा बाक्स आने पर बरामदशुदा गांजे का नापतोल कर उस तोल 82 ग्राम व 700 मिलीग्राम पाया गया जिसको मौके पर सील चेपा किया गया।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि अखबार की थैली को खोलकर देखने हर हरी पत्तियां और डंठल थे। गांजा व भांग एक ही होता है।

16. गवाह पी.ड. 08 मांगीलाल ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि ''वह दिनांक 20.01.14 को थाना सुकेत पर कानि. चालक के पद तैनात था उस दिन वह थानाधिकारी अब्दुल मजीद और सुधीर सिंह, साहब, पतराम, शेर मोहम्मद कानि. मे जीप सरकारी के करने वास्ते अवैध वाहन व गश्त चैकिग हेतु थाने से 4.30 पीएम पर मय ड्रेगन लाईट के रवाना होकर गश्त करते हुऐ जुल्मी रोड पाटली नदी की पुलिया पर पहुंचे जहां पर उन्होंने नाकाबंदी चालू की। 7.15 पीएम पर बाद नाकाबंदी वापस थाने आ रहे थे। एएसआई कम्पनी के नाके के पास रोड पर एक व्यक्ति पैदल चलकर सुकेत की तरफ जाता नजर आया। पुलिस जीप को देखकर साईड मे भागने लगा ओर एक दम जीप को देखकर घबरा, गया जिसपर शक होने पर थानाधिकारी जाप्ते ने घेराबंदी करके पकडा। पकडने पर घबराकर पसीना-पसीना हो गया। जिसपर थानाधिकारी को शक होने पर शेर मोहम्मद को नोटिस देकर स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु भेजा, जिसने वापस आकर बताया

कि कोई स्वतंत्र गवाह रात का समय होने से नही मिले ओर शेर मोहम्म्द ने लिखित मे अपना जवाब थानाधिकारी को पेश किया। इस पर थानाधिकारी ने सुधीर व पतराम को स्वतंत्र गवाह बनाकर स्वंय की तलाशी गवाहन को दी व गवाहान की तलाशी स्वयं द्वारा गवाहान के समक्ष डिटेनशुदा व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अब्दुल सलाम निवासी सुकेत का होना बताया। इस पर एसएचओ साहब ने उनके गवाहान के समक्ष डिटनेशुदा व्यक्ति की तलाशी ली तो पेंट के पीछे की तरफ बेल्ट के पास एक सफेद पॉलीथीन की थैली मिली जिसको चेक किया तो उसके अंदर पांच पूडिया मिली व थैली के अंदर हरे रंग की पत्ती आपस मे चिपटी हुई अखबार में लिपटे हुऐ मिलें। जिनको एसएचओ साहब ने सभी को दिखाया और सुंघाया तो भांग जैसे गांजे के पत्ते हरे रंग का होना पाया। मुल० से पूछा तो उसने गांजा होना बताया। मुझे व शेर मोहम्मद के मय गाडी के समय 8.10 पीएम पर थाने के अनुसंधान बॉक्स लाने हेतु भेजा, जिसपर हम रवाना होकर थाने पहुचे। अनुसंधान बॉक्स लेकर थाने से वापस मौके पर आये। समय 8.35 पीएम पर थानाधिकारी को अनुसंधान बॉक्स पेश किया। इस पर डिटेनशुदा व्यक्ति के पास मिली पॉलोथिन व सम्बंधित माल के बारे मे अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार अब्दुल सलाम द्वारा अपने कब्जे मे उक्त हरि पत्ती व गंटले रखना अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से थैली का वजन किया तो मय बारदाना 82.70 मिलीग्राम हुआ व शुद्ध वजन 62.20 मिलीग्राम हुआ। कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर किया। मार्का ए दिया तथा बारदाना अखबार को मार्का बी दिया। तथा समय 9.20 पीएम पर थानाधिकारी ने स्वंय की निजी सील को हम जाप्ता व गवाहान के समक्ष नष्ट कर चारों दिशाओ मे फेक कर फर्द नष्टीकरण सील बनाई। अब्दुल सलाम को मोके पर जुर्म से आगाह कर गिरफतार किया। वापसी थाना पर थानाधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया।

दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं की तलाशी व्यक्ति से नहीं लिवाई, उसे पता नहीं कि उस व्यक्ति को कोई लिखित में कागज दिया था या नहीं।

17. जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाने संबंधी गवाह पी.ड. 04 सत्यनारायण ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि ''वह दिनांक 22/1/14 को पुलिस थाना सुकेत में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त प्रकण से. संबंधित मालखाना रमेशचंद हैड कानि से पैकेट मार्क ए मय पत्र आदि लेकर एफएसएल जयपुर हेतु मार्फत एसपी साहब के कार्यालय जाकर अग्रेषण पत्र तैयार करवाया। जिस हालत में उसे मालखाना इंचार्ज ने माल सुपुर्द किया था दिनांक-23/1/14 को उसी हालत मे माल जमा करवाकर व दिनांक 26/1/14 को वापस आकर हैड साहब रमेशचंद को रसीद सुपुर्द की।

18. गवाह पी.ड. 05 रमेश सिंह ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि ''वह दिनांक 20.01.14 को पुलिस थाना सुकेत मे हैड कानि के पद पर तैनात था उस रोज प्रकरण सख्यां 19/14 में श्री अब्दुल मजीद एसएचओ साहब ने मादक पदार्थ गांजा का शील्ड बंद दो पैकेट मार्क ए व बी जमा मालखाना करने हेतु उसे दिये थे। जिन्हें उसने

मालखाना रजिस्टर की मद संख्या के 20/14 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था दिनाक 22.01.14 को श्री सत्यनारायण एफसी को दोनों पैकेट परीक्षण हेतु शीलशुदा हालत मे वास्ते एफएसएल हेतु सुपुर्द किया था, जो दिनाक 26.01.14 को जमा कराकर वापस थाना आये। रशीद पेश की जो आईओ संभला दी। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 7 तथा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 7 ए है।

19. गवाह पी.ड. 06 लक्ष्मीनारायण ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि "वह दिनाक 21.01.14 को पुलिस थाना सुकेत मे कानि के पद पर तैनात था उस रोज प्रकरण संख्या 19/14 में श्री अब्दुल मजीद एसएचओ साहब ने उक्त प्रकरण से सबधित धारा 57 की सूचना हेतु श्रीमान एस पी साहब कोटा ग्रामीण तकसीम हेतु 6:50 ए एम पर रवाना किया उस रोज एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी साहब को धारा 57 की सूचना तकसीम की व एक प्रति रिसीव प्राप्त की। दिनाक 22.01.14 को 12:30 पी एम पर वह थाने आया ओर हैड साहब को प्रति सुपुर्द की।

20. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 10 जोधाराम ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 20.01.2014 को थाना मोडक पर एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार मुकदमा नम्बर 19/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सुकेत पंजीबद्ध का उसे अनुसंधान थानाधिकारी सुकेत द्वारा दिया गया था। दौराने अनुसंधान बयान गवाह श्री अब्दुल मजीद खॉ, सुधीर सिंह, पतराम साहब लाल, शेरमहोमद, मांगीलाल, रमेशसिंह, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण के कहेनुसार लेखबद्ध किये। श्री अब्दुल मजीद की निशादेही से गवाह पतराम व सुधीर की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका प्रदर्श पी 6 बनाया। नकल रपट संख्या 901, 928, 1009, 998 क्रमशः प्रदर्श पी 10 लगायत 13 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। एफएसएल जमा रसीद, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मुल० से अनुसंधान किया गया। पत्रावली पर सकेलित साक्ष्य अनुसंधान से मुल० अब्दुल सलाम के विरूद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया। एफएसएल रिर्पोट प्रदर्श पी 11 है। बाद अनुसंधान पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी सुकेत को पेश की।

दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि नक्शामौका बनाया, तब सभी पुलिस वाले ही थे। उसके द्वारा माल को एफएसएल हेतु भेजा गया था।

21. इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य के समग्र विवेचन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना सुकेत के तत्कालीन उपनिरीक्षक श्री अब्दुल मजीद खान द्वारा दिनांक 20.01.2014 को की गई अकस्मात फर्द चैंकिग व जब्ती प्रदर्श पी-01 के आधार पर दर्ज हुआ है। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मुख्यतः प्रकरण में धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लेखित आज्ञापक विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त संदर्भ में उक्त फर्द चैकिंग

व जब्ती प्रदर्श पी-01 के अवलोकन से उक्त दस्तावेज में शेर सिंह कानि को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु दिये गए हुक्मनामा को स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने से वापस लोने के पश्चात् स्वयं श्री अब्दुल मजीद उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस जाप्ते में से पतराम कानि० व सुधीर कानि० को स्वतंत्र गवाह बनाकर व अभियुक्त को स्वयं के अधिकार एवं कानूनी प्रावधानों से अवगत कराकर उसकी तलाशी लिये जाने का उल्लेख किया है, जिसमें उसकी पेंट की चोर जेब से मादक पदार्थ गांजा मिलने का अंकन किया है। इस प्रकार उक्त फर्द चैकिंग व जप्ती की कार्यवाही किये जाने वाले पुलिस अधिकारी श्री अब्दुल मजीद उपनिरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना-सुकेत द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अभियुक्त को धारा 42 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी हेतु लेकर जाने के संदर्भ में विकल्प दिया गया हो, ऐसा कोई उल्लेख उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी-03 में नहीं है ना ही धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उपधारा 05 व 06 के अन्तर्गत किसी निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को ले जाना सम्भव नहीं होने पर श्री अब्दुल मजीद उपनिरीक्षक, पुलिस थाना सुकेत द्वारा अभियुक्त अब्दुल सलाम की तलाशी ली गई हो, उक्त संदर्भ में भी उक्त फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी-01 में कोई कारण उल्लेख नहीं किया गया है।

22. उक्त संदर्भ में धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में यह विधिक प्रावधान उल्लेखित है कि:-

> Deals with the Conditions under which search of persons shall be conducted.-
>
> (1) When any officer duly authorised under section 42 is about to search any person under the provisions of section 41, section 42 or section 43, he shall, if such person so requires, take such person without unnecessary delay to nearest Gazetted Officer of any of the departments mentioned in section 42 or to the nearest Magistrate.
>
> (2) If such requisition is made, the officer may detain the person until he can bring him before the Gazetted Officer or the Magistrate referred to in sub-section (1).
>
> (3) The Gazetted Officer or the Magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge the person but otherwise shall direct that search be made.

(4) No female shall be searched by anyone excepting a female.

(5) When an officer duly authorised under section 42 has reason to believe that it is not possible to take the person to be searched to the nearest Gazetted Officer or Magistrate without the possibility of the person to be searched parting with possession of any narcotic drug or psychotropic substance, or controlled substance or article or document, he may, instead of taking such person to the nearest Gazetted Officer or Magistrate, proceed to search the person as provided under section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) After a search is conducted under sub-section (5), the officer shall record the reasons for such belief which necessitated such search and within seventy-two hours send a copy thereof to his immediate official superior.

धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लेखित विधिक प्रावधान के आज्ञापक प्रकृति के होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं:-

In Vijaysinh Chandubha Jadeja v State of Gujarat (CRIMINAL APPEAL NO. 943 OF 2005) Hon'ble Apex court held that:
"We are of the firm opinion that the object with which right under Section 50(1) of the NDPS Act, by way of a safeguard, has been conferred on the suspect, viz. to check the misuse of power, to avoid harm to innocent persons and to minimise the allegations of planting or foisting of false cases by the law enforcement agencies, it would be imperative on the part of the empowered officer to apprise the person intended to be searched of his right to be searched before a gazetted officer or a Magistrate. We have no hesitation in holding that in so far as the obligation of the authorised officer under sub-section (1) of Section 50 of the NDPS Act is concerned, it is mandatory and requires a strict compliance. Failure to comply with the provision would render the recovery of the illicit article suspect and vitiate the conviction if the same is recorded only on the basis of the recovery of the illicit article from the person of the

accused during such search. Thereafter, the suspect may or may not choose to exercise the right provided to him under the said provision."

Hon'ble Apex court in Dilip v. State of Madhya Pradesh (2007) 1 SCC 450) & State of Rajasthan v. Parmanand (AIR 2014 SC 1384), held that non-compliance of Section 50 NDPS ACT was fatal, vitiating the entire prosecution. It was also held that consent or lack of consent of the accused was irrelevant regarding compliance of Section 50 of NDPS ACT. Thus the provisions of NDPS Act, Section 50 have been held to be mandatory complied with, if they are violated, it would vitiate the trial.

Hon'ble Rajasthan High Court in Sahi Ram Vs. State of Rajasthan (1999 Cri.L.J.977 (Raj.) held that though there is no specific contemplation that the notice should be in writing, but in case, where there is no public Panch witness as in where it is conducted in private places, in that event, at least notice under Section 50 of the Act ought to be in writing in order to lend credibility to the prosecution case. Especially when there are only police present at the crime scene, a written notice gives credibility. Also an established law that while seizing the incriminating materials, if the accused was not given option by the investigation officer to be searched in presence of a Gazette Officer or a Magistrate, considering the violation of mandatory provision of section 50, conviction and sentence cannot be sustained.

23. इस प्रकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी-01 की कार्यवाही के अधिकारी श्री अब्दुल मजीद खां गवाह पी.डब्ल्यू. 09, पी.डब्ल्यू. 01 पतराम व पी.डब्ल्यू. 07 सुधीर सिंह व इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जोधाराम पी.डब्ल्यू. 10 द्वारा उपरोक्त उल्लेखित साक्ष्य में अभियुक्त को धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत उल्लेखित विधिक अधिकारों के संदर्भ में कोई सूचना दी गई हो तथा उक्त संदर्भ में उक्त विधिक प्रावधानों की पालना की गई हो, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लेखित विधिक प्रावधान को आज्ञापक प्रवृति का होने बाबत् सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध मौखिक व दस्तावतजी साक्ष्य से दौराने चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी-01 उक्त आज्ञापक

विधिक प्रावधान की पालना नहीं किये जाने से अभियोजन पक्ष अभियुक्त अब्दुल सलाम के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:: आदेश ::-

24. परिणामतः अभियुक्त-अब्दुल सलाम पुत्र सलीम, उम्र-44 साल, निवासी-पायका मौहल्ला सुकेत, पुलिस थाना-सुकेत, जिला-कोटा (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25. प्रकरण में जब्तशुदा गांजा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे।

26. अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि वह धारा 437 ए दण्ड प्रकिया संहिता के तहत दस हजार रूपये की जमानतं व इसी राशि का स्वयं को मुचलका प्रस्तुत करें, जो 06 माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

(सुमन मीना-प्रथम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी, जिला-कोटा(राज.)

27. निर्णय, आज दिनांक-05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीना-प्रथम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी, जिला-कोटा(राज.)